रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266961
CG-DL-E-16102025-266961

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4556] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2025/आश्विन 23, 1947
No. 4556] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर 2025

का.आ. 4685(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 734(अ), तारीख 12 फरवरी, 2025 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण में एक प्ररूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 12 फरवरी, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्ररूप अधिसूचना की बाबत व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप, टिप्पणी और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, रूपी भावा वन्यजीव अभयारण्य 503 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निचार उप-विभाग में स्थित है। यह ऊपरी सतलुज घाटी में 31º 35′ और 31º 45′ उत्तरी अक्षांशों और 77º 49′ और 78º 07′ पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ है। किन्नौर जिले का मुख्यालय रेकॉन्ग पियो (कल्पा) अभयारण्य के पूर्वी हिस्से में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है;

और, रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम और उत्तर में धौलाधार पर्वतमाला के श्रीखंड पर्वतों और दक्षिण में सतलुज नदी के बीच स्थित है। इस अभयारण्य को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफएफई-बीएफ(6)II/2005-11 तारीख 07 जून, 2013 के अधीन वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था।

और, रूपी-भाबा वन्यजीव अभयारण्य को मध्य हिमालय में स्थित होने और ज़ोन 2 बी (पश्चिमी हिमालय) के जीवनी क्षेत्र की पुष्टि करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। रूपी-भाबा वन्यजीव अभयारण्य ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर संरक्षित क्षेत्र संजाल का एक सतत् और सघन खंड बनाता है और पश्चिमी हिमालय जीवमंडल रिजर्व में गठित होने के लिए उपयुक्त है और (गार्सन और गैस्टन 1992) एच.पी. वन्य जीवन परियोजना-III विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित होने के लिए उपयुक्त है।

और, यह अभयारण्य अपने विशाल अल्पाइन चरागाहों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। सामान्य धारणा यह है कि यहाँ घने देवदार, काली और चौड़ी पत्ती वाले जंगल (2000 मीटर और उससे अधिक) हैं, और ऊँचाई (2800 मीटर और उससे अधिक) पर देवदार-स्प्रूस के संयोजन और बाँस की झाड़ियाँ बहुतायत में हैं। अल्पाइन क्षेत्र 3500 मीटर से ऊपर की ऊँचाई से आरंभ होता है;

और, रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों को मध्य हिमालय के सबसे सुंदर मनोरम दृश्यों में से एक प्रदान करता है और इसमें साहसिक साधकों के आनंद के लिए ट्रैकिंग मार्गों, पर्वत चोटियों और ऊंचे दर्रों की बड़ी संख्या है। अभयारण्य के भीतर पंद्रह से अधिक चोटियां हैं जो 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हैं। सबसे ऊंची चोटी (5914 मीटर) पूर्वी सीमा पर चिकिम धार पर है। पांडोश्वर चोटी (5806 मीटर) दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और किन्नौर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल है। उत्तरी सीमा पर तीन ऊंचे पर्वतीय दर्रे हैं, जिनके नाम, शकरौग खांगो (5100 मीटर), निमिष खांगो (4890 मीटर) और तारी खांगो (4865 मीटर) हैं, जो सभी रूपी- भाबा वन्यजीव अभयारण्य को लाहौल और स्पीति जिले के स्पीति उप-मंडल के पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ते हैं।

और, रूपी-भाबा वन्यजीव अभयारण्य का अल्पाइन क्षेत्र औषधीय जड़ी-बूटियों में प्रचुर मात्रा में है, और स्थानीय समुदाय इन पौधों को इकट्ठा करके और बेचकर अपनी आय में वृद्धि करते हैं। प्रचुर मात्रा में एकत्र की गई सबसे महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियाँ हैं कारू (*पिक्रोरिज़ा कुरूआ*), पाटिश (*एकोनिटम हेटरोफाइलम*) बनफ्सा (*वियोला कैनेसेंस*), कुथ *(डोलोमिया कॉस्टस)* मुशाकबाला (*वेलेरियाना वालिची*), रिवार्ड चीनी (*रयूम इमोडी*), बैंकाक्री (*पोडोफिलम इमोडी*) आदि। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए इस अभयारण्य के अल्पाइन चरागाहों में पाई जाने वाली सभी जड़ी-बूटियाँ अत्यधिक आर्थिक मूल्य और महत्व की हैं।

और, अभयारण्य में प्रमुख पाई जाने वाली प्रमुख पशु प्रजातियाँ हैं कस्तूरी मृग (*मोस्चस मोस्चिफेरस*), गोरल (*नेमोरहेडस गोरल*), भरल (*स्यूडोइस नायर*), सीरो (*कैपरिसोनिस सुमात्रेन्सिस*), हिमालयन थार (*हेमित्रगस जेम्लाहिकस*), हिमालयन नेवला (*मुस्टेला सिरिबिका)*), हिम तेंदुआ (*अनसिया अनसिया*), सामान्य तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस)*), तेंदुआ बिल्ली (*फेलिस बेंगालेंसिस*), लाल लोमड़ी (*वुल्प्स वल्प्स*), छोटी कश्मीर उड़ने वाली गिलहरी (*हाइलोपेटेस फिम्ब्रिएटस*), एशियाई काला भालू (*उरस थिबेटानस*), पश्चिमी ट्रैगोपैन (*ट्रैगोपैन मेलानोसेफालस*), चीयर तीतर (*कैट्रेस वालिची*), हिमालयन मोनाल (*लोफोफोरस इम्पेजेनस*), हिमालयन ग्रिफॉन (*जिप्स हिमालयेंसिस*), वुडकॉक इत्यादि हैं।

और, रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख पुष्प प्रजातियाँ हैं जैसे कि ब्राउन ओक (*क्वेरकस सेमीकार्पिफोलिया*), स्प्रूस (*पिका स्मिथियाना*), देवदार (*एबीस पिंड्रो*), चिलगोसा (*पीनस जेरार्डियाना*), मेपल (*एसर पेंटापोमिकम*), राख या जैतून (*फ्रैक्सिनस ज़ैन्थोक्सिलोइड्स*), *एलनस नाइटिडा, बेतूला एनोइड्स, बक्सस वालिचियाना, कॉर्नस* एसपी, गुलाबी रोडोडेंड्रोन, *बर्बेरिस प्रजाति* आर्टेमिसिया *वल्गेरिस, इंडिगोफेरा, डैफ्ने ओलिओइड्स, लोनीसेरा ऑगस्टिफोलिया, एफडेरा जेरार्डियाना, प्लैक्ट्रान्थस एसपी., वोइला सेपेन्स, क्यूप्रेस प्रजाति., जुनिपेरस इंडिका* आदि।

और, इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में क्षेत्र, विस्तार और सीमा को संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन और प्रसंस्करण को प्रतिसिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब , पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) तथा (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में रूपी भामा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से लेकर 3.45 किलोमीटर के विस्तारित क्षेत्र को रूपी भामा के अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है, अर्थात्: -

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 0 किलोमीटर से 3.45 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल लगभग 85.53 वर्ग किलोमीटर है।

टिप्पण: रूपी-भाबा वन्यजीव अभयारण्य तीन तरफ़ से पूर्व में लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है। उत्तर की ओर, यह पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ-साथ पार्क की सीमा पर भी है। उत्तर-पश्चिमी तरफ़, अभयारण्य ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। इसलिए, रूपी- भाबा वन्यजीव अभयारण्य के इन तीनों तरफ़ कोई पारिस्थितिकी संवेदी जोन नहीं है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है ।

(3) रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र उपाबंध- IIक, उपाबंध IIख, उपाबंध IIग और उपाबंध IIघ के रूप में संलग्न है।

(4) रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर भू-निर्देशांक उपाबंध -III में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले गांवों की सूची उपाबंध-IV में संलग्न है

(6) क्षेत्र में मौजूद वनस्पतियों, जीवों और दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन प्रजातियों की विस्तृत सूची उपाबंध-V में संलग्न हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए क्षेत्रीय महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट केंद्र एवं राज्य सरकार के संगत विधियों के अनुरूप केन्द्रीय एवं राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, ताकि उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पहलुओं को एकीकृत किया जा सके:-

i. पर्यावरण;

ii. वन एवं वन्यजीव;

iii. कृषि;

iv. राजस्व;

v. शहरी विकास;

vi. पर्यटन;

vii. ग्रामीण विकास;

viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

ix. पंचायती राज;

x. नगर पालिका; और

xi. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

IndiaCode

(4) जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, तब तक आंचलिक महायोजना में विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन नहीं अधिरोपित किया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, में वनरहित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों का निर्धारण किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास का विनियमित किया जायेगा और पैरा 4 की सारणी में दिये गये प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसे संवर्धन किया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मॉनीटरी के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मॉनीटरी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगा।

(10) आंचलिक महायोजना की तैयारी और अनुमोदन तक, कोई भी नई विकासात्मक क्रियाकलापों पैरा 6 के उप-पैरा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों द्वारा नियंत्रित किये जाएंगे ।

3. राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

1. **भूमि उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मनोरंजन प्रयोजनों के लिए चिन्हित वन, बागवानी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पार्क और खुले स्थान का उपयोग वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए नहीं किया जाएगा या उन्हें क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा:

परंतु ऊपर भाग (क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि के संपरिवर्तन की अनुज्ञा मॉनीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से दी जा सकती है, जैसा कि लागू हो और इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने और निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए-

i. विद्यमान सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण;

ii. बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;

iii. प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योग;

iv. कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

v. अनुच्छेद 4 में दिए गए क्रियाकलापों का संवर्धन किया गया:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मॉनीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

2. **प्राकृतिक जल निकाय.-** सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए योजनाएं आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि इन क्षेत्रों में या उसके पास ऐसी विकास क्रियाकलापों पर रोक लगाई जा सके जो इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं।

3. **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी-संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

IndiaCode

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो: किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण या व्यापारिक प्रतिष्ठान अनुमत नहीं किया जाएगा,

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना और व्यापारिक प्रतिष्ठान अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना के अनुमोदन नहीं मिल जाता, तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को स्थल-विशिष्ट संवीक्षा और मॉनीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल या रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. **प्राकृतिक विरासत-** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

5. **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में इमारतें, ढांचा, वास्तुशिल और सांस्कृतिक महत्व की इमारतों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्रों और परिसरों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

6. **ध्वनि प्रदूषण.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसके संशोधनों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा।

7. **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1686 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों अनुसार किया जाएगा।

8. **बहि:स्रावों का निस्सरण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण; - जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1686 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों अनुसार किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार होगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन नियम, 2016, समय -समय पर यथा संसोधित उपबंधों अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पर्यावरणीय रीति में पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात स्थल पर किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जायेगा।

10. **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन निम्नानुसार होगा:-

क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय -समय पर यथा संसोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।;

ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

11. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय -समय पर यथा संसोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016, के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

12. **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय -समय पर यथा संसोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317 (अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

13. **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और समय -समय पर यथा संसोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों अनुसार किया जाएगा।

14. **वाहनों का आवागमन.-** वाहनों के आवागमन को पर्यावरणीय अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में विशिष्ट उपाबंध आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक आंचलिक महायोजना तैयार नहीं हो जाता और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाता, तब तक मॉनीटरी समिति संबंधित अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए विधियों और विनियमों के अधीन वाहनों के आवागमन के अनुपालन की मॉनीटरी कि जाएगी।

15. **वाहन प्रदूषण.-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुपालन में किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

16. **औद्योगिक इकाइयाँ.-** (क) इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन पर या उसके पश्चात्, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी नया प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

ग. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016, समय -समय पर यथा संसोधित जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

17. **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

क. आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर स्थित क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जहां किसी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

ख. मौजूदा खड़ी पहाड़ी ढलानों या अत्यधिक कटाव वाली ढलानों पर निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

IndiaCode

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन निषिद्ध या विनियमित की जाने वाली क्रियाकलापों की सूची.-

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपाबंधों और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (या नवीनतम अधिसूचना) और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (1980 का 69), सहित अन्य लागू विधियों सहित उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगी और भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (53 का) 1972), और उसमें किए गए संशोधन और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियाँ
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयाँ।	क. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन वास्तविक रूप से रहने वाले स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के निर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; ख. खनन कार्य माननीय उच्चतम-न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 का मामला, टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ, 1995 का डब्ल्यूपी(सी) संख्यांक 202, तारीख 21 अप्रैल, 2014 का मामला गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ, 2012 का डब्ल्यूपी(सी) संख्या 435 और 28 अप्रैल, 2023 के आदेशों के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषणकारी उद्योगों के नए या विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग, उत्पादन या प्रसंस्करण।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी खतरनाक अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित नहीं की जाएगी (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर उत्पन्न सभी खतरनाक अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्पन्न किसी भी खतरनाक अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर संभालने, संसाधित करने या उपचारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

India Code

5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों या मौजूदा आरा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा उड़ान भरना।	प्रतिषिद्ध।
11	यांत्रिक साधनों द्वारा मछली पकड़ना।	प्रतिषिद्ध।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसॉर्टों की व्यावसायिक स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय पारिस्थितिकी-पर्यटन क्रियाकलापों के लिए छोटे अस्थायी ढांचों के: परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से आगे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, सभी नई पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार, पर्यटन मास्टर प्लान और लागू मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
13.	निर्माण क्रियाकलापों।	क. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु कि, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी: परंतु प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप को लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम

		प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम रखा जाएगा। ख. एक किलोमीटर से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
14.	लघु पैमाने के गैर-प्रदूषणकारी उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, और पारिस्थितिकी संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले गैर-खतरनाक, लघु एवं सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प-कृषि, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योग को अनुमति दी जाएगी।
15.	पेड़ों की कटाई।	क. राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। ख. वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन का उपाय किया जाएगा।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन का उपाय किया जाएगा।
20.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
23.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त विधियों के अधीन विनियमित।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित किया जाना और सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की कड़ाई से मॉनीटरी की जानी चाहिए।

IndiaCode

25.	प्राकृतिक जल निकायों या भू -क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	विदेशी प्रजातियों का परिचय।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	जल परिवहन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	मौजूदा परिसर और होटल की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
31.	छोटे चारे का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	प्रवासी चराई।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
33.	मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
34.	गंदे नाले का निर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
35.	नौटोर भूमि का अनुदान।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
36.	पारंपरिक निवासियों के अधिकार।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
37.	सतही एवं भूजल का व्यावसायिक निकास।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
38.	बर्फ और वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
39.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
40.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
41.	कुटीर उद्योग जिसमें ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
42.	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
43.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
44.	बागवानी और हर्बल पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
45.	पर्यावरण अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
46.	कौशल विकास.	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
47.	क्षीण भूमि या वन या आवास का पुनरुद्धार।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
48.	पर्यावरण जागरूकता.	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।

IndiaCode

5.मॉनीटरी समिति. - केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों के प्रभावी मॉनीटरी के लिए एक मॉनीटरी समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्.-

क्र.सं.	**मॉनीटरी समिति के घटक**	**पद का नाम**
(1)	वन संरक्षक, (प्रादेशिक), रामपुर वन मण्डल	अध्यक्ष, *पदेन*;
(2)	उप वन संरक्षक, किन्नौर वन प्रभाग	सदस्य, *पदेन*;
(3)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अधीन विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए समय- समय पर हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(4)	कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्र का अधिकार रखने वाले।	सदस्य, *पदेन*;
(5)	क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाला उप-विभागीय मजिस्ट्रेट।	सदस्य, *पदेन*;
(6)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पर्यटन विभाग का एक विशेषज्ञ।	सदस्य, पदेन;
(7)	किसी प्रतिष्ठित राज्य विश्वविद्यालय या संस्थान से पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य; और
(8)	वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग, सराहन	सदस्य-सचिव, *पदेन*।

IndiaCode

6. निगरानी समिति के कार्य.- (1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मॉनीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों जिन्हे सम्मिलित नहीं किया गया है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते है ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मॉनीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) मॉनीटरी समिति का सदस्य-सचिव या उपायुक्त या उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन फाइल दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(4) मॉनीटरी समिति सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधियों या सम्बद्ध पणधारियों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध -VI में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी, इस अधिसूचना के साथ संलग्न है ।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मॉनीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि. - इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/194/2015 ई एस जेड- आर ई]

डॉ.सु.केरकेट्टा ,वैज्ञानिक-'जी'

उपाबंध I

क: रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

क्र.सं.	दिशा	सीमा विवरण
1.	**उत्तर**	प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा 77⁰46'45.896"पू 31⁰46'07.388"उ से शुरू होकर 78⁰04'25.741"पू 31⁰47'0.491"उ तक है। रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा में क्रमशः उत्तर और उत्तर पश्चिमी तरफ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान के साथ महत्वपूर्ण गलियारा या संपर्क या पारिस्थितिकी संवेदी जोन हैं।
2.	**पूर्व**	प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा 78⁰ 6'6.322"पू 31⁰42'46.943"उ से शुरू होकर 78⁰6'34.099"पू 31⁰36'36.953"उ तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पूर्वी किनारे लिप्पा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन से लगे हुए हैं - असरंग वन्यजीव अभयारण्य और किन्नौर प्रादेशिक वन प्रभाग की कटगांव रेंज।
3.	**दक्षिण**	प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा 77⁰57'44.039"पू 31⁰34'24.429"उ से शुरू होकर 77⁰52'2.616"पू 31⁰35'16.183"उ तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का दक्षिणी भाग किन्नौर प्रादेशिक वन की निचार रेंज है विभाजन।
4.	**पश्चिम**	77⁰45'9.77"पू 31⁰44'10.864"उ से शुरू होकर 77⁰49'52.904'पू 31⁰35'12.306"उ तक। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का पश्चिमी भाग ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रामपुर प्रादेशिक वन प्रभाग के सराहन रेंज के साथ संरेखित है।

ख. प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले वनों की सूची (शहरी और अर्ध-शहरी वानिकी)

रूपी- भाबा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भीतर पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले शहरी और अर्ध-शहरी वानिकी की सूची निम्नलिखत है।

क्र. सं.	संभाग का नाम विभाजन	श्रेणी का नाम	इलाका का नाम	वन का नाम	खंड	क्षेत्र
1	वन्यजीव मंडल	कटगांव	कटगांव	सी-88	-	242.00 हेक्टेयर

				सी-89	-	124.65 हेक्टेयर
				सी-91	-	400.00 हेक्टेयर
				यूएफ-29	-	300.00 हेक्टेयर
				यूएफ-28	-	200.00 हेक्टेयर
				यूएफ-27	-	200.00 हेक्टेयर
				यूएफ-30	-	150.00 हेक्टेयर
				यूएफ-31	-	420.00 हेक्टेयर
				यूएफ-32	-	220.00 हेक्टेयर
				अवर्गीकृत चारागाह भूमि उरनी कांडा	-	259.25 हेक्टेयर
				अवर्गीकृत चारागाह भूमि उल्ला कांडा	-	700.00 हेक्टेयर
				अवर्गीकृत चारागाह लैंड रोघी बीट	-	431.00 हेक्टेयर
				अवर्गीकृत चारागाह भूमि पंगी बीट	-	504.00 हेक्टेयर
			कंधार	सी-92	-	100.00 हेक्टेयर
				यूएफ-26	-	200.00 हेक्टेयर
			नाथपा	अन्यभूमि	-	600.00 हेक्टेयर
			सालारिं	अन्यभूमि	-	108.45 हेक्टेयर
		भभा नगर	छोटा कम्बा	यूएफ-16	-	35.00 हेक्टेयर
			बाराकाम्बा	यूएफ-14	-	50.00 हेक्टेयर
				यूएफ-15	-	90.00 हेक्टेयर
			डैबलिंगबीट	सी-98	-	27.00 हेक्टेयर
				सी-99	-	2.83 हेक्टेयर
				यूएफ-6	-	15.50 हेक्टेयर
			रूपी	यूएफ-1	-	50.00 हेक्टेयर
				यूएफ-2	-	17.50 हेक्टेयर
				यूएफ-4	-	15.00 हेक्टेयर
		सराहन	कूट	सी-129	-	38.88 हेक्टेयर
				सी-130	-	135.27 हेक्टेयर
				सी-131	-	69.66 हेक्टेयर
				सी-132	-	122.31 हेक्टेयर
				सी-133	-	81.04 हेक्टेयर
				सी-134	-	60.34 हेक्टेयर
				सी-135	-	42.32 हेक्टेयर
				अवर्गीकृत चारागाह भूमि कूट मारो।	-	1550.00

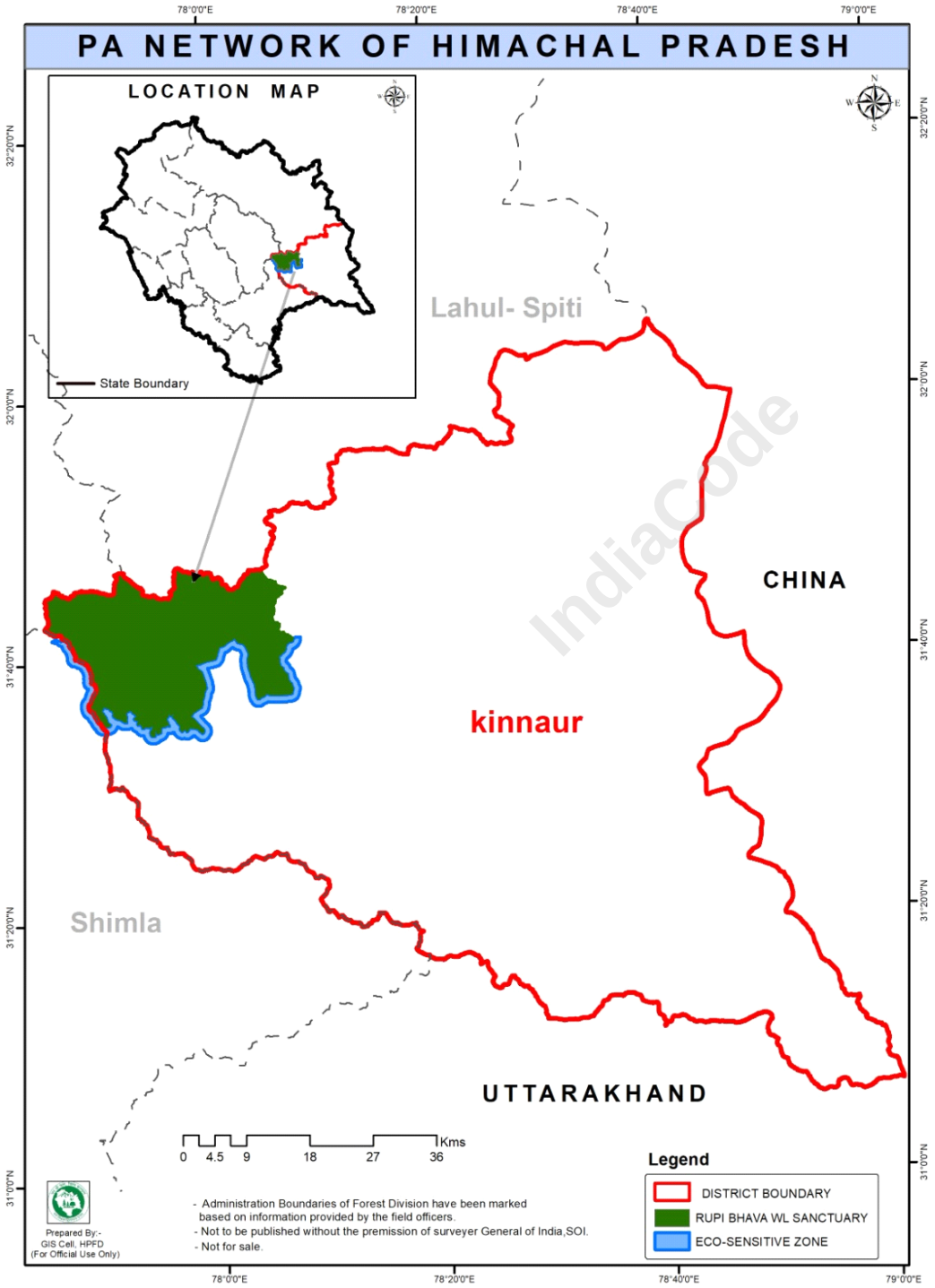
India.com

						हेक्टेयर
				कुल:-		7562 हेक्टेयर

IndiaCode

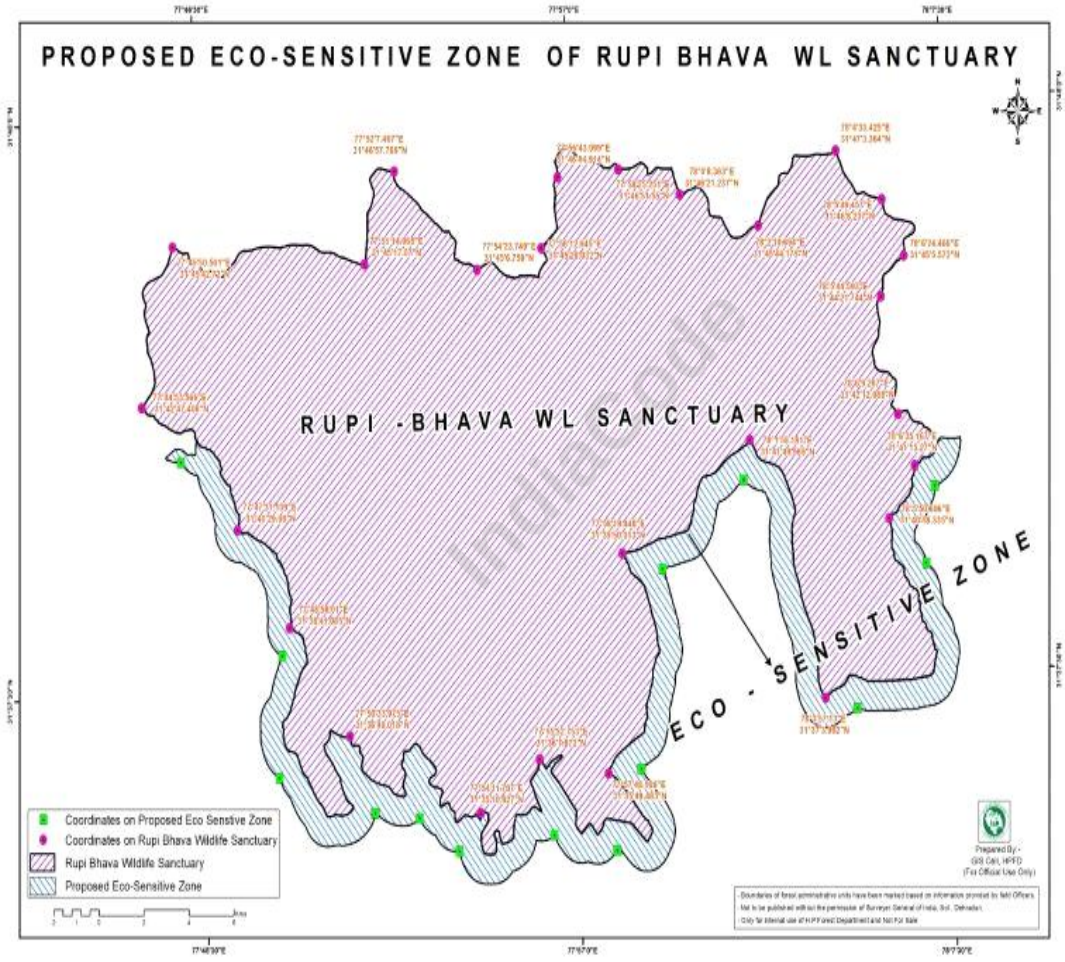
उपाबंध-II क

रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य का स्थान मानचित्र



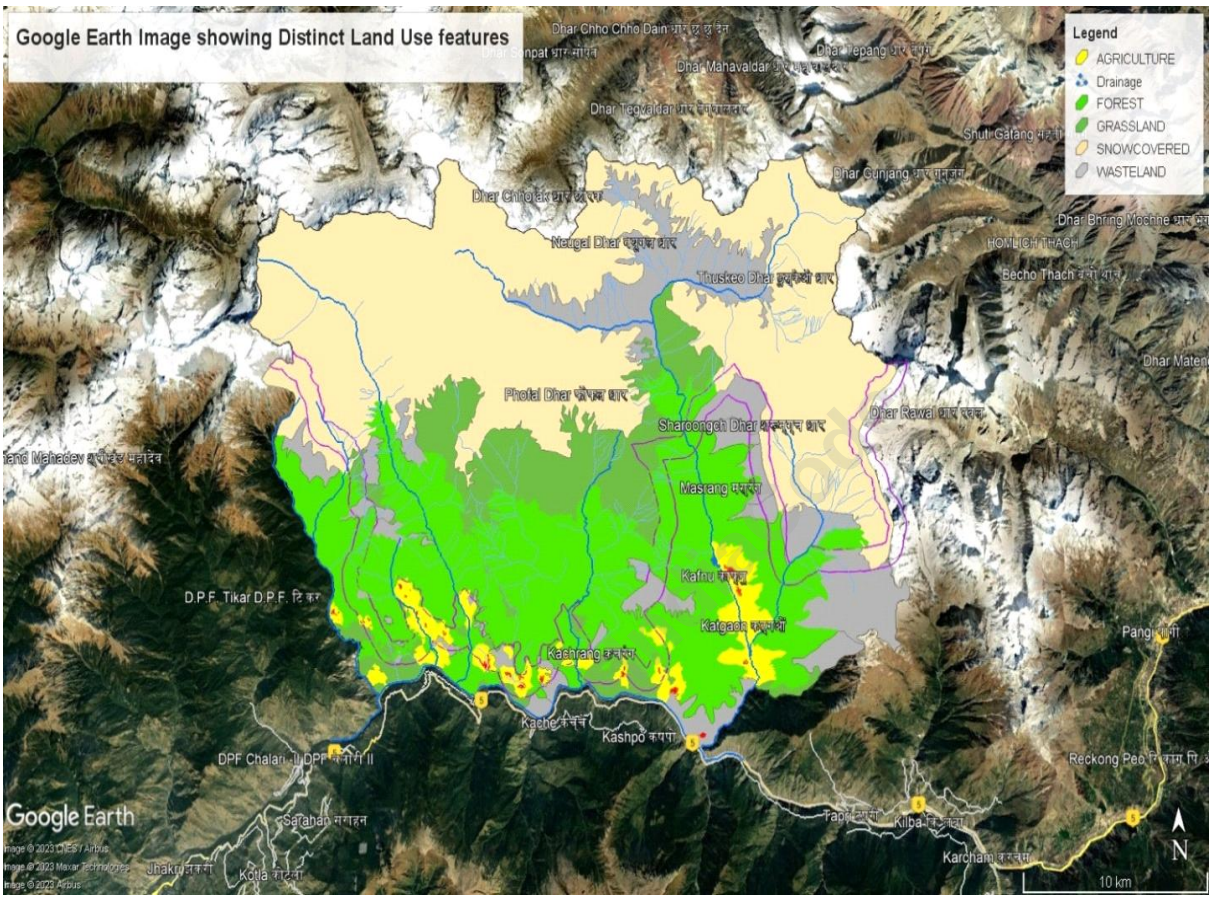
उपाबंध-II ख

रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्



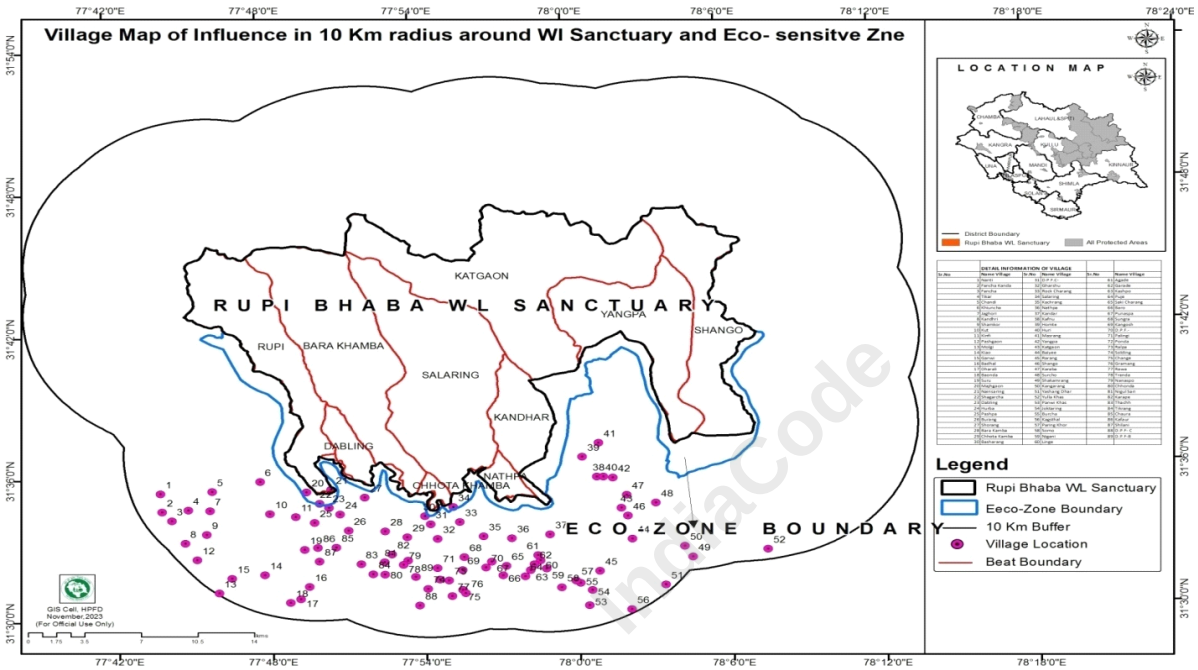
उपाबंध-II ग

भूमि उपयोग भूमि आवरण रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-II घ

रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में प्रभाव वाले गांव का मानचित्र और रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास इसका पारिस्थितिकी संवेदी जोन



उपाबंध-III

सारणी - क: रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास की सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू निर्देशांक

बिंदु	देशान्तर	अक्षांश
1	77⁰44’53.556”	31⁰42’47.406”
2	77⁰47’31.139”	31⁰40’29.98”
3	77⁰48’56.01”	31⁰38’41.085”
4	77⁰50’33.975”	31⁰36’40.018”
5	77⁰54’11.707”	31⁰35’10.927”
6	77⁰55’52.753”	31⁰36’7.872”
7	77⁰57’48.506”	31⁰35’49.483”

8	77°58'19.448''	31°39'50.013''
9	78°1'58.181''	31°41'49.569''
10	78°3'57.13''	31°37'3.902''
11	78°5'50.606''	31°40'18.335''
12	78°6'35.167''	31°41'15.27''
13	78°6'9.267''	31°42'12.088''
14	78°5'44.593''	31°44'21.744''
15	78°6'24.466''	31°45'5.572''
16	78°5'49.457''	31°46'8.237''
17	78°4'33.425''	31°47'3.364''
18	78°2'19.694''	31°45'44.175''
19	78°0'8.363''	31°46'21.237''
20	77°58'25.251''	31°46'51.55''
21	77°56'43.099''	31°46'44.914''
22	77°56'12.945''	31°45'28.032''
23	77°54'23.749''	31°45'6.759''
24	77°52'7.467''	31°46'57.789''
25	77°51'14.068''	31°45'17.07''
26	77°45'50.501''	31°45'42.72''

India Code

सारणी - ख: रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

बिंदु	देशान्तर	अक्षांश
1	77°48'42.519''	31°38'10.601''
2	77°48'34.212''	31°35'56.958''
3	77°51'13.91''	31°35'14.971''
4	77°52'28.726''	31°35'7.925''
5	77°53'34.531''	31°34'30.118''
6	77°56'15.277''	31°34'44.067''
7	77°58'0.823''	31°34'24.992''
8	77°58'43.886''	31°35'53.438''
9	77°59'26.349''	31°39'31.684''
10	78°1'46.325''	31°41'5.884''
11	78°4'50.434''	31°36'51.49''
12	78°6'51.257''	31°39'27.559''
13	78°7'8.563''	31°40'52.091''

IndiaCode

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गाँव	तहसील	जिला	जीपीएस निर्देशांक
1	कंदार	निचार	किन्नौर	31°34'28.52"उत्तर, 77°59'18.00"पूर्व
2.	कचारंग			31°34'38.12"उत्तर, 77°56'37.50"पूर्व
3.	नाथपा			31°34'25.49"उत्तर, 77°58'2.25"पूर्व
4.	रॉकचारंग			31°34'47.32"उत्तर, 77°56'0.71"पूर्व
5.	सालारिंग			31°35'49.33"उ, 77°55'52.44"पूर्व
6.	गुड़गुड़ी			31°36'28.77"उ, 77°50'27.15"पूर्व
7.	मझगांव			31°36'18.64"उत्तर, 77°50'17.42"पूर्व
8.	नलिंग			31°36'12.10"उ, 77°50'27.46"पूर्व
9.	शिगार्चा			31°35'55.99"उत्तर, 77°50'39.24"पूर्व
10.	हुरुवा			31°35'36.54"उ, 77°50'59.56"पूर्व
11।	बड़ाखंबा			31°34'36.66"उ, 77°53'12.88"पूर्व
12.	शोरंग			31°35'58.38"उत्तर, 77°52'30.89"पूर्व
13.	घराशु			31°34'19.04"उत्तर, 77°55'9.09"पूर्व
14.	छोटाखंबा			31°34'9.42"उत्तर, 77°54'26.52"

IndiaCode

उपाबंध-V

रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य में मौजूद वनस्पतियों और जीवों की सूची

जड़ी बूटी

क्र.सं.	**वैज्ञानिक नाम**	**स्थानीय नाम**
1.	*एकोनिटम हेटरोफिलम*	पटिश, मोहरा
2.	*एग्रीमोनिया यूपेटोरियम*	कनौला
3.	*शतावरी फिलिसिनस*	सहसिमुली
4.	*कैनाबिस सातिवा*	भांग
5.	*कैरम कार्वी*	ज़ीरा
6.	*चेनोपोडियम एल्बम*	दनखर
7.	*धतूरा स्ट्रैमोनियम*	धतूरा
8.	*डेल्फीनियम डेनुडेटम*	निरविसी
9.	*डिपासैकस इनर्मिस*	तोरी
10.	*फ़ीनिकुलमवल्झारे*	सौंफ
11	*जेंटियाना कुरुओ*	कारू
12.	*गेरेनियम नेपालेंस*	तिर्राहानी
13.	*जरबेरा लैनुगिनोसा*	कोपरा
14.	*गेरार्डियाना हेटरोफिला*	बेचुबुति
15.	*हेलनिया एलिप्टिका*	पिटपारा
16.	*ज्यूरिनिया मैक्रोसेफेला*	धुप
17.	*मेंथा सिल्वेस्ट्रिस*	पोदिना
18.	*पॉलीगोनैटम वर्टिसिलैटम*	सलाम मिश्री
19.	*पॉलीगोनम अलाटम*	मोलोरा
20.	*प्रिमुला डेंटिकुल्टा*	हनातिगू
21.	*साल्विया ग्लूटिनोसा*	ग्वादरा
22.	*सौसुरिया लप्पा*	कुथ
23.	*स्ट्रोबिलैन्थस डालहौसियम्स*	मशियान
24.	*स्वेरीता चिराता*	चरैता
25.	*टैनासेटम लोंगिफोलियम*	भुटकेसी
26.	*थैलिक्ट्रम प्रंडुकुलैटम*	ममीरी
27.	*थैलिक्ट्रम न्यूरोकार्पम*	बरमोट
28.	*वेलेरियाना हेडविकि*	नख
29.	*वेलेरियाना वालिचाई*	मुश्कबाला
30.	*वायोला सर्पेंस*	बनफ्शा

IndiaCode

झाड़ी

क्र.सं.	**वैज्ञानिक नाम**	**स्थानीय नाम**
1.	*एरिस्टेमिसिया रोक्सबर्गियाना*	सेस्की
2.	*बर्बेरिस चित्रिया*	चुत्रम
3.	*बोसियम हेर्स्टियाना*	खासबार
4.	*कोलेब्रुकिया ऑपोसिटिफोलिया*	भाम्बर
5.	*कैरागाना ब्रेविस्पिना*	शमेह
6.	*कोरियारिया नेपालेंसिस*	मसूरी
7.	*कोटोनिएस्टर बैसिलेरिस*	रौंश
8.	*क्रेटेगसऑक्सीएकांथा*	बैट सागली
9.	*डेफ्ने पेपिरेसिया*	गंडिरी
10.	*डेस्मोडियम सैमुएन्से*	सफ़ेदकाठी
11	*एल्शोल्ट्ज़िया पॉलीस्टैच्या*	पोथीजौनकारा
12.	*फ्लेमिंगिया फ्रुटिकुलोसा*	चोपरू
13.	*इंडिगोफेरा हेबेपेटाला*	कास्तियारंग
14.	*जूनिपरस रिकर्वा*	गुग्गल
15.	*जैस्मिनम ह्यूमिले*	चमेली
16.	*लोरैंथस एलाटस*	बाँदा
17.	*लोनिसेरा एंगुस्टिफोलिया*	पिरलू
18.	*प्लेकट्रान्थस कोएस्टा*	बंगरा
19.	*रुस्सेमी अलारा*	तीतर
20.	*रोडोडेंड्रोन कैम्पानुलैटम*	सिरमंग
21.	*सैलिक्स हैस्टाटा*	ब्यून्स
22.	*स्किमिया लौरेओला*	शुरू
23.	*स्पाइरिया कैनेसेंस*	ताकोल
24.	*स्टैफिलिया इमोडी*	नाग दुआन
25.	*वुडफोर्डिया फ्लोरिबुंडा*	धन

वृक्ष

क्र.सं.	**वैज्ञानिक नाम**	**स्थानीय/सामान्य नाम**
1.	*पिनस रोक्स्बुर्गी*	चीड़ पाइन
2.	*पिनस वॉलिचियाना*	नीला पाइन, कैल
3.	*एबीस पिंड्रो*	सिल्वर फर, तोश

IndiaCode

4.	*एबीस स्पेक्टेबिलिस*	सिल्वर फर, तोश, सपन
5.	*सेड्रस देवदार*	देवदार
6.	*पिसिया स्मिथियाना*	स्प्रूस, राय
7.	*टैक्सस बैकाटा*	कॉमन यू, राखाल
8.	*क्वेरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा*	बान ओक
9.	*क्वेरकस ग्लौका*	बानी ओक
10.	*क्वेरकस फ्लोरिबुंडा*	मोरू ओक
11	*क्वेरकस सेमेकार्पिफोलिया*	कहर्सू ओक
12	*अलनस निटिडा*	एल्डर, कुनीस, कोश
13.	*बेतुला अलनोइड्स*	कठभोज
14.	*बेतुला उपयोगिता*	बिर्च, भोज
15.	*जुलग्लान्स रेजिया*	बालनट, अखरोट
16.	*उल्मस वॉलिचियाना*	मालदुंग
17.	*सिम्पलोकोस पैनिक्युलेटा*	लोध
18.	*प्रूनस सेरासोइड्स*	पांजा
19.	*प्रूनस आर्मेनियाका*	चुल्ली
20.	*प्रूनस पर्सिका*	रेग, बैमी
21.	*प्रूनस कॉर्नुटा*	हिम. बर्ड-चेरी, जामुन
22.	*पाइरस पाशिया*	शगल
23.	*एसर एक्युमिनटम*	मंडेरंग, उन्न
24.	*एसर सीज़ियम*	हिम. मेपल, चिरंदरू, मंडेरंग
25.	*एसर स्टर्क्युलियासीम*	उन्न, कंजल
26.	*एसर कप्पाडोसिकम*	उन्न, कनाजल
27.	*एस्कुलस इंडिका*	हिम. हॉर्स चेस्टनट, जंगलीखानोर
28.	*रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम*	बरस

संरक्षित क्षेत्र में प्रमुख जीव-जंतुओं की सूची

क्र.सं.	**साधारण नाम**	**वैज्ञानिक नाम**
1.	हिमालयन वाटर शूर	*चिमारोगेल हिमालया*
2.	हॉजसन्स ब्राउन-टूथडशू	*सोरिकुलस कॉडेटस*
3.	हॉर्सफील्ड्स शू	*क्रोकिडुरा हॉर्सफील्डी*

IndiaCode

4.	ग्रेटर हॉर्सशू बैट	*राइनोलोफस फेरुमेक्विनम*
5.	ग्रेट हिमालयन लीफ-नोज़्ड बैट	*हिप्पोसाइडेरोस आर्मिगेर*
6.	हॉजसन्स बैट	*मायोटिस फॉर्मोसस*
7.	रीसस मैकाक	*मकाका मुलाटा*
8.	सामान्य लंगूर	*सेम्नोपिथेकस एन्टेल्लस*
9.	सामान्य तेंदुआ	*पेंथेरा पार्डस*
10.	हिम तेंदुआ	*अनसिया अनसिया*
11.	जंगली बिल्ली	*फेलिस चाउस*
12.	तेंदुआ बिल्ली	*प्रियोनैलुरस बंगालेंसिस*
13.	हिमालयन पाम सिवेट	*पगुमा लार्वाटा*
14.	सामान्य भारतीय नेवला	*हर्पेस्टेस एडवर्ड्सि*
15.	स्टोन मार्टन	*मार्टेस फोइना*
16.	येलो थ्रोटेड मार्टन	*मार्टेस फ्लेविगुला*
17.	पेल वीजल	*मुस्टेला अल्ताइका*
18.	हिमालयन वीज़ल	*मुस्टेला सिबिरिका*
19.	येलो बिल्ली डवीजल	*मुस्तेला कथिया*
20.	रेड फॉक्स	*वुलपेस वुलपेस*
21.	हिमालयीन भूरा भालू	*उर्सस आर्कटोस*
22.	एशियाई काला भालू	*उर्सस थिबेटानस*
23.	हिमालयी कस्तूरी मृग	*मोस्कस क्राइसोगास्टर*
24.	घोराल	*नेमोर्डेडस गोरल*
25.	हिमालयनसेरो	*नेमोरहेडस थार*
26.	हिमालयन तहर	*हेमित्रागस जेमलाहिकस*

IndiaCode

27.	एशियाई आइबेक्स	*कैप्रा आइबेक्स*
28.	नीली भेड़ (भरल)	*छद्म नायाउर*
29.	रेड जांइट फलांइग स्म्विरेल	*पेटौरिस्टा पेटौरिस्टा*
30.	स्मॉल कश्मीर फलांइग स्म्विरेल	*हाइलोपेट्स फिम्ब्रिएटस*
31.	घरेलू चूहा	*रैटस रैटस*
32.	तुर्किस्तान चूहा	*रैटस टर्केस्टेनिकस*
33.	चेस्ट नट चूहा	*निविवेंटर फुलवेसेंस*
34.	व्हाइट बेल्लीड रेट	*निविवेंटर निविवेंटर*
35.	इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्युपाइन	*हिस्ट्रिक्स इंडिका*
36.	रॉयल्सापिका	*ओचोटोना रोइलेइ*
37.	लार्जइयर्ड-पिका	*ओकोटोना मैक्रोटिस*

IndiaCode

संरक्षित क्षेत्र में प्रमुख पक्षियों की सूची

क्र. सं.	**पक्षी का नाम**	**वैज्ञानिक नाम**
1	पश्चिमी ट्रैगोपैन	*ट्रैगोपैन मेलानोसेफालस*
2	कोक्लास तीतर	*पुक्रैसिया मैक्रोलोफा*
3	हिमालयन मोनाल	*लोफोफोरस इम्पेजानस*
4	कालीज तीतर	*लोफुरा ल्यूकोमेलानोस*
5	चुकर तीतर	*एलेक्टोरिस चुकर*
6	हिमालयन स्नोकॉक	*टेट्राओगैलस हिमालयेंसिस*
7	लैमर्जीयर	*गाइपेटस बार्बेटस*
8	हिमालयन ग्रिफ़ॉन बलचर	*जिप्स हिमालयेंसिस*
9	गोल्डन ईगल	*एक्विला क्राइसैटोस*
10	यूरेशियन स्पैरोहॉक	*ऐसिपिटर निसस*
11	हिमालयन बज़र्ड	*ब्यूटिओर फेक्टस*
12	कॉमन केस्ट्रल	*फाल्को टिन्ननकुलस*
13	ओरिएंटल टर्टलडब	*स्ट्रेप्टोपेलिया ओरिएंटलिस*
14	स्नो-वीजन	*कोलंबा ल्यूकोनोटा*

15	माउंटेन स्कॉप्स ओल्स	*ओटस पिलोसेफालस*
16	एशियनबार्ड- ओलेट	*ग्लौसीडियम क्यूकुलोइड्स*
17	हिमालयीन स्विटलेट	*एरोड्रामस ब्रेविरोस्ट्रिस*
18	हिमालयन कठफोड़वा	*डेंड्रोकोपोस हिमालयेंसिस*
19	स्केली-बेलिड वुडपेकर	*पिकस स्क्वैमेटस*
20	स्पोहेड नटक्रैकर	*न्यूसिफ्रागा कैरियोकैटेक्टेस*
21	कोझ	*पेरिपेरस एटर*
22	ब्लैकडण्ड येलो	*माइसेरो बेसिकटेरियोइड्स*
23	ब्राउनिश फलैंक्ड बुश वार्बलर	*होरोर्निस फोर्टीपेस*
24	ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाईकैचर	*क्यूलिसिक एपेसीलोनेंसिस*
25	लोंग बिल्ड थ्रश	*ज़ूथेरा मोंटिकोला*
26	कॉमन रोज़फिंच	*कार्पोडाकस एरिथ्रिनस*
27	रेड हेडिड बुलफिंच	*पिरहुला एरिथ्रोसेफाला*
28	फायर फ्रंटिड सेरिन	*सेरिनस पुसिलस*
29	प्लैन फिंच	*ल्यूकोस्टिक्टे नेमोरिकोला*
30	रॉक बंटिंग	*एम्बेरिजा सिया*

संरक्षित क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों (तितली, कीड़े, सरीसृप आदि) की सूची

उभयचर

1. हिमालयन टोड (*दत्ताफ्रीनस हिमालयनस*)
2. ब्युटिफुल टोरेंट फ्रोग (*अमोलोप्स फॉर्मोसस*)
3. स्टोलिज़्काज फ्रोग (*पा विसिना*)

सरीसृप

1. कश्मीर रॉक अगामा (*लौडाकिया ट्यूबरकुलाटा*)
2. हिमालयन ग्राउंड स्किंक (*एसिम्बलफेरस हिमालयनस*)
3. आइस फील्ड स्किंक (*एसिम्बलफेरस लैडेसेंसिस)*
4. हिमालयन कीलबैक (*एम्फीस्मा प्लैटिसेप्स*)
5. हिमालयन पिट वाइपर (*ग्लॉयडियस हिमालयनस*)

अकशेरुकी

रूपी- भाबा वन्यजीव अभयारण्य के अकशेरुकी जीवों पर कोई दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध नहीं है, और यह संभवतः पश्चिमी हिमालय के अन्य भागों के समान है।

स्थानिक प्रजातियों की सूची

पौधे

1. देवदार *सेड्रस देवदारा*
2. केल *पिनस वॉलिचियाना*
3. चीड़ पाइन *पिनस रोक्सबर्गी*
4. खानोर (चेस्टनट) *एस्कुलस हिप्पोकैस्ट्रानम*
5. रोडोडेंड्रोन *रोडोडेंड्रोन एसपीएस.*

स्तनधारी

1. हिमालयन गोरल (*नेमोरहेडस गोरल*): हिमालयन गोरल एक छोटी खुरदार प्रजाति है जो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
2. हिमालयन ब्लू शीप(*स्यूडोइस नयौर*): इसे भारल या हिमालयन ब्लू शीप के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रजाति हिमालयी क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जा सकती है।

पक्षी

1. हिमालयन स्नोकॉक (*टेट्राओगैलस हिमालयेंसिस*): यह विशाल शिकार की जाने वाली पक्षी पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित चट्टानी और अल्पाइन पर्यावासों में पाया जा सकता है।
2. हिमालयन क्वेल (*ओफ्रीसिया सुपरसिलियोसा*): यह दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है, यह घने घास के मैदानों और झाड़ीदार आवासों को पसंद करता है।
3. हिमालयन मोनाल (*लोफोफोरस इम्पेजनस*): हिमालयन मोनाल एक रंगीन तीतर प्रजाति है जो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है, यह जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों में पाया जाता है।

दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची

1. हिमालयी भूरा भालू (*उर्सस आर्कटोसिसाबेलिनस*): असुरक्षित

IndiaCode

2. हिमालयन मोनाल (*लोफोफोरस इम्पेजेनस*): असुरक्षित
3. एशियाई काला भालू (*उर्सस थिबेटानस*): असुरक्षित
4. हिमालयी कस्तूरी मृग (*मोस्कस क्राइसोगास्टर*): लुप्तप्राय
5. हिमालयन तहर (*हेमिट्रैगस जेमलाहिकस*) : संकटापन

उपाबंध-VI

कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र :

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू- अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October 2025

S.O. 4685(E).— Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 734 (E), dated the 12th February, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on 12th February, 2025;

And whereas, no objections, comments and suggestions were received from persons and stakeholders in respect of the said draft notification;

And whereas, the Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary is spread over an area of 503 square kilometres and is located in the Nichar sub-division of Kinnaur district in Himachal Pradesh. It is situated along the Upper Sutlej valley spreading between 31°35′ and 31°45′ N latitudes and between 77°49′ and 78°07′ E longitudes. Reckong Peo (Kalpa), the headquarters of Kinnaur district lies about 40 kilometers on the eastern side of the sanctuary;

And whereas, the Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary is positioned between the Shrikhand mountains of the Dhauladhar range in the West and North and the Sutlej River in the South. The sanctuary was given the status of a Wildlife Sanctuary by the Government of Himachal Pradesh *vide* Notification No. FFE-B-F(6)II/2005-11 dated the 7th June, 2013;

And whereas, the Rupi-Bhaba wildlife Sanctuary enjoys the privilege of being situated in the Middle Himalayas and confirm to Zone 2 B (Western Himalayas) biographic zone. The Rupi-Bhaba WildLife Sanctuary together with Great Himalayan National Park and Pin Valley National Park form a continuous and compact block of Protected area network and is suitable to be constituted into a Western Himalayan Biosphere Reserve and is a suitable are to be declared as a world heritage site (Garson and Gaston 1992) Himachal Pradesh Wild life Project-III;

And whereas, the Sanctuary is known for its vast alpine pastures and meadows. The general impression is of thick Deodar, Kali and broad leaved forests (2000 meters and above), Fir-Spruce combination with bamboo dominating the under growth on higher attitude (2800 Meters and above). The alpine zone starts from above 3500 meters altitude;

And whereas, the Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary provides one of the most beautiful panoramic views of the Middle Himalayas to the nature lovers and has large members of trekking routes, mountain peaks and high passes to the delight of adventure seekers. There are more than fifteen peaks within the Sanctuary which are above 5000 meters of altitude. The highest Peak (5914 meters) is on Chikim Dhar on the eastern boundary. The Pandoswar Peak (5806 meters) is the second highest peak and a very important geographical landmark in Kinnaur District. On the northern boundary there are three high mountain passes, namely, Shakarog Khango (5100 meters), Nimish Khango (4890 meters) and Tari Khango (4865 meters), all of which connect Rupi-Bhaba Wildlife Sanctuary with Pin Valley National Park of Spiti Sub-Division of Lahaul and Spiti District;

And whereas, the alpine region of the Rupi-Bhaba Wildlife Sanctuary is abundant in medicinal herbs, and the local communities supplement their income by gathering and selling these plants.The most-important herbs collected profusely are Karu (*Picrorhiza Kurooa*), Patish (*Aconitum heterophyllum*) Banafsa (*Viola canescens*), Kuth (*Dolomiaea costus*) Mushaqbala (*Valeriana wallichii*), Reward Chini (*Rheum emodii*), Bankakri (*Podophyllum emodii*) etc. For Ayurvedic medicines, all the herbs found in alpine pastures of this Sanctuary are of great economic value and importance;

And whereas, the major faunal species found in the sanctuary are musk deer (*Moschus moschiferus*),goral (*Nemorrhaedus goral*), bharal (*Pseudois nayau*r), serow (*Capricornis sumatraensis*), Himalayan thar (*Hemitragus jemlahicus*), Himalayan weasel (*Mustela siribica*), snow leopard (*Uncia uncia*), common leopard (*Panthera pardus*), leopard cat (*Felis bengalensis*), red fox (*Vulpes vulpes*), small Kashmir flying squirrel (*Hylopetes fimbriatus*), Asiatic Black bear (*Ursus thibetanus*), Western tragopan (*Tragopan melanocephalus*), cheer pheasant (*Catreus wallichi*), Himalayan monal (*Lophophorus impejanus*), Himalayan griffon (*Gyps himalayensis*), Woodcock etc.;

And whereas, the Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary harbours key floral species such as are brown oak (*Quercus semicarpifolia*), spruce (*Picea smithiana*), fir (*Abies pindrow*), chilgosa (*Pinus gerardiana*), maple (*Acer pentapomicum*), ash or olive (*Fraxinus xanthoxyloides*), *Alnus nitida, Betula anoides, Buxus wallichiana, Cornus* sp., pink rhododendron, *Berberis sp.*, *Artemisia vulgaris, Indigofera, Daphne olioides, Lonicera augustifolia, Ephdera gerardiana, Plactranthus sp., Voila sepens, Cupress sp., Juniperus indica* etc.;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental

and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment(Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, the Central Government hereby notifies an area extending from 0 kilometer to 3.45 kilometers from the boundary of the Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary in Kinnaur district in the State of Himachal Pradesh as the Rupi Bhaba Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.-

(1) The Eco-sensitive Zone extends from 0 kilometer to 3.45 kilometers around the boundary of Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 85.53 square kilometer.

Note: *The Rupi-Bhaba Wildlife Sanctuary shares its boundaries on three sides with the Eco-Sensitive Zone of the Lippa-Asarang Wildlife Sanctuary to the east. To the north, it borders the Eco-Sensitive Zone of the Pin Valley National Park, as well as the park itself. On the north-western side, the sanctuary adjoins the Great Himalayan National Park. Therefore, there is no Eco-Sensitive Zone on these three sides of the Rupi-Bhaba Wildlife Sanctuary.*

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended as Annexure-I.

(3) The Maps of the Eco-sensitive Zone around Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary is appended as Annexure-II A, Annexure II B, Annexure II C and Annexure II D.

(4) Geo Coordinates on the boundary of Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive zone are appended at Annexure -III**.**

(5) The list of villages falling under the Eco-sensitive Zone are appended as Annexure-IV**.**

(6) The detailed list of Flora, Fauna and Rare, Endangered, and Threatened species present in the area is appended as Annexure-V.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Panchayati Raj;
(x) Municipality; and

(xi) Himachal State Pollution Control Board

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending preparation and approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at sub-para (1) and (2) of paragraph 6.

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer;

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and its amendments.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

IndiaCode

(8) Discharge of effluents.- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time;

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) on or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (or the latest notification) and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995; dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012; and dated the 28th April, 2023.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	a) No hazardous waste treatment facility shall be located within the Eco-sensitive Zone b) All hazardous waste generated inside the Eco-sensitive Zone shall be taken outside the Eco-sensitive Zone. No hazardous waste generated outside the Eco-sensitive Zone will be allowed to be handled, processed or treated inside the ESZ
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene or plastic bags.	Prohibited.

9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
10.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited.
11.	Fishing by Mechanical means.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.

Indiacode

16.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated as per applicable laws
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Water Transportation.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Fencing of existing premises and hotel.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Collection of small fodder.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Migratory Grazing.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Fishing.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Construction of Sewerage line.	Regulated as per the applicable laws.
35.	Grant of Nautor Land.	Regulated as per the applicable laws.
36.	Traditional Dwellers Rights.	Regulated as per the applicable laws.
37.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.

IndiaCode

C. Promoted Activities		
38.	Snow and Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
39.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
40.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
41.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
42.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
43.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
44.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
45.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
46.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
47.	Restoration of Degraded Land or Forests or Habitat.	Shall be actively promoted.
48.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.-

For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Conservator of Forest, (Territorial), Rampur Forest Circle	Chairman, *ex-officio;*
2.	Deputy Conservator of Forest, Kinnaur Forest Division	Member, *ex-officio;*
3.	A representative of Non-governmental Organization working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years	Member;
4.	Executive Engineer, Himachal Pradesh Pollution Control Board, having jurisdiction of the area	Member, *ex-officio;*
5.	Sub Divisional Magistrate having jurisdiction of the area	Member, *ex-officio;;*
6.	One expert from tourism Department to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh	Member, *ex-officio;*
7.	One expert in ecology and environment from a reputed State University or Institution to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years	Member;

8.	Conservator of Forests, Wildlife Division, Sarahan	Member-Secretary, *ex-officio*

6. Functions of the Monitoring Committee.–

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-VI, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. **Additional Measures.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. **Supreme Court, etc. orders.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/194/2015-ESZ-RE]

DR.S.KERKETTA, Scientis 'G'

ANNEXURE I

A: BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSTIVE ZONE AROUND RUPI BHABA WILDLIFE SANCTUARY

S.No.	Direction	Boundary Description
1.	**NORTH**	The Northern boundary of the proposed Eco-sensitive Zone starts from $77^0$46'45.896''E $31^0$46'07.388''N and upto $78^0$04'25.741''E $31^0$47'0.491''N. The Northern boundary of Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary has important corridor or connectivity or ecologically sensitive patches with Great Himalayan National Park and Pin Valley National Park on North and North Western side respectively.
2.	**EAST**	The Eastern boundary of the proposed Eco-sensitive zone starts from $78^0$6'6.322''E $31^0$42'46.943''N upto $78^0$6'34.099''E $31^0$36'36.953''N. Eastern sides of Eco-sensitive Zone flanked with Eco-sensitive Zone of Lippa – Asrang Wildlife Sanctuary and Katgaon Range of Kinnaur territorial Forest Division.
3.	**SOUTH**	The Southern boundary of the proposed Eco-sensitive zone starts from $77^0$57'44.039''E $31^0$34'24.429''N upto $77^0$52'2.616''E $31^0$35'16.183''N. Southern side of Eco-sensitive Zone is Nichar Range of Kinnaur territorial Forest Division.
4.	**WEST**	Starts from $77^0$45'9.77''E $31^0$44'10.864''N upto $77^0$49'52.904'E $31^0$35'12.306''N. Western side of Eco-sensitive Zone is aligned with Eco-sensitive Zone of Great Himalayan National Park and Sarahan Range of Rampur Territorial Forest Division

B. LIST OF FORESTS (Urban and Peri-Urban Forestry) FALLING UNDER PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE

The list of the Urban and Peri-Urban Forestry within area of suitable width of the boundary of Rupi-Bhaba WildLife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

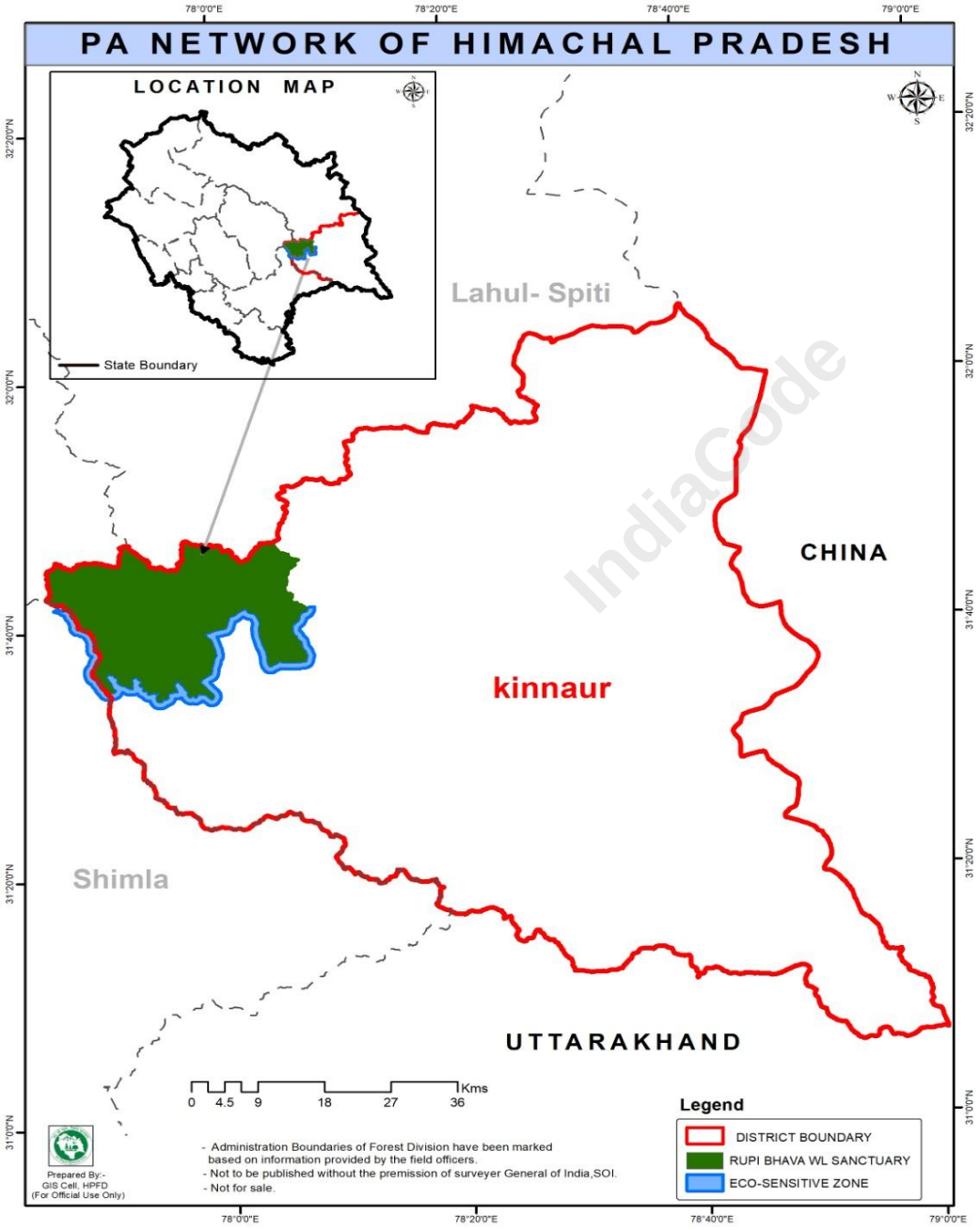
Sr.No.	Name of Division	Name of Range	Name of Beat	Name of Forest	Compartment	Area
1	Wildlife Division Sarahan	Katgaon	Katgaon	C-88	-	242.00hectare
				C-89	-	124.65hectare
				C-91	-	400.00hectare
				UF-29	-	300.00hectare
				UF-28	-	200.00hectare
				UF-27	-	200.00hectare
				UF-30	-	150.00hectare
				UF–31	-	420.00hectare
				UF–32	-	220.00hectare
				Un-classified pasture Land Urni Kanda	-	259.25hectare
				Un-classified pasture Land Ulla Kanda	-	700.00hectare

				Un-classified pasture Land Roghi Beat	-	431.00hectare
				Un-classified pasture Land Pangi Beat	-	504.00hectare
			Kandhar	C-92	-	100.00hectare
				UF-26	-	200.00hectare
			Nathpa	Otherland	-	600.00hectare
			Salaring	OtherLand	-	108.45hectare
		Bhaba nager	Chhota Kamba	UF-16	-	35.00hectare
			Barakamba	UF-14	-	50.00hectare
				UF-15	-	90.00hectare
			DabblingBeat	C-98	-	27.00hectare
				C-99	-	2.83hectare
				UF-6	-	15.50hectare
			Rupi	UF-1	-	50.00hectare
				UF-2	-	17.50hectare
				UF-4	-	15.00hectare
		Sarahan	Koot	C-129	-	38.88hectare
				C-130	-	135.27hectare
				C-131	-	69.66hectare
				C-132	-	122.31hectare
				C-133	-	81.04hectare
				C-134	-	60.34hectare
				C-135	-	42.32hectare
				Unclassified pasture Land koot beat.	-	1550.00 hectare
				Total:-		7562 hectare

IndiaCode

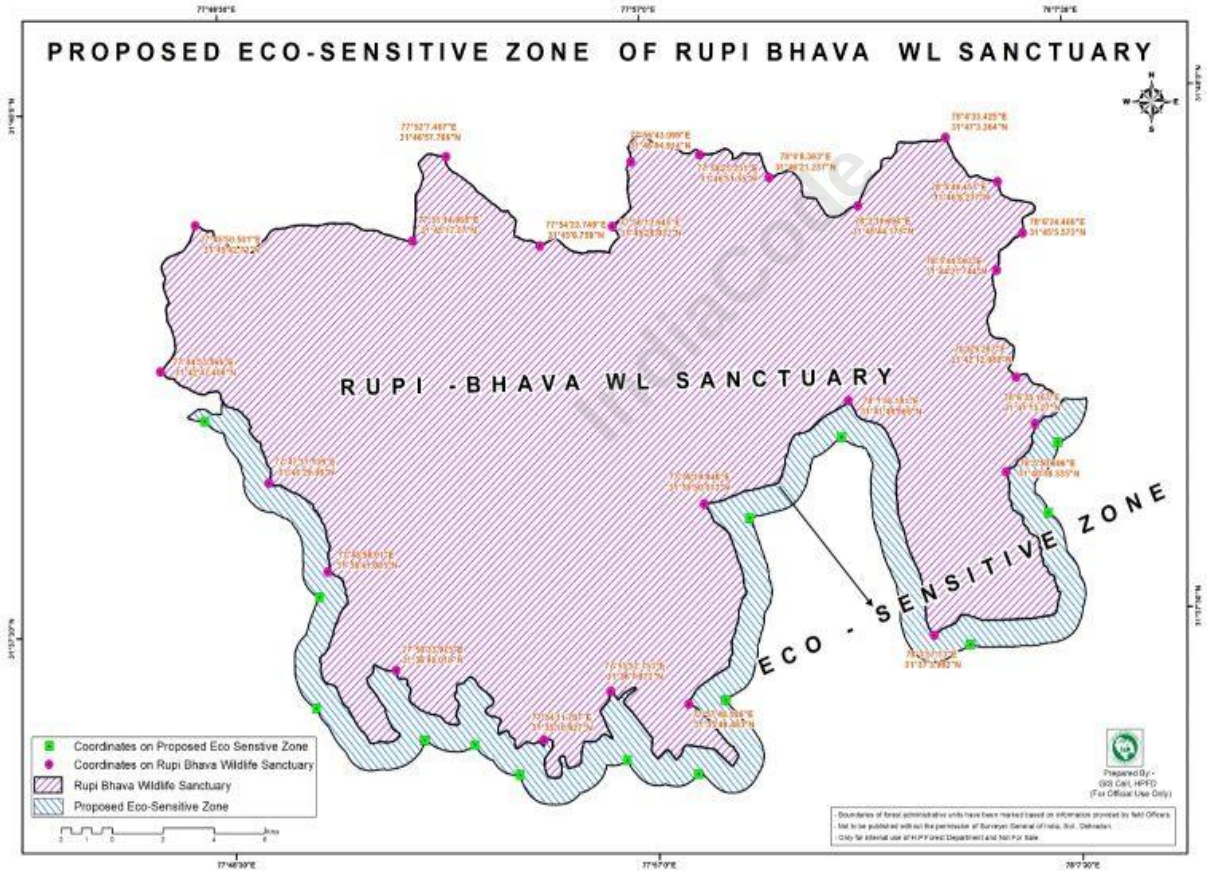
Annexure II A

LOCATION MAP OF RUPI BHABA WILDLIFE SANCTUARY



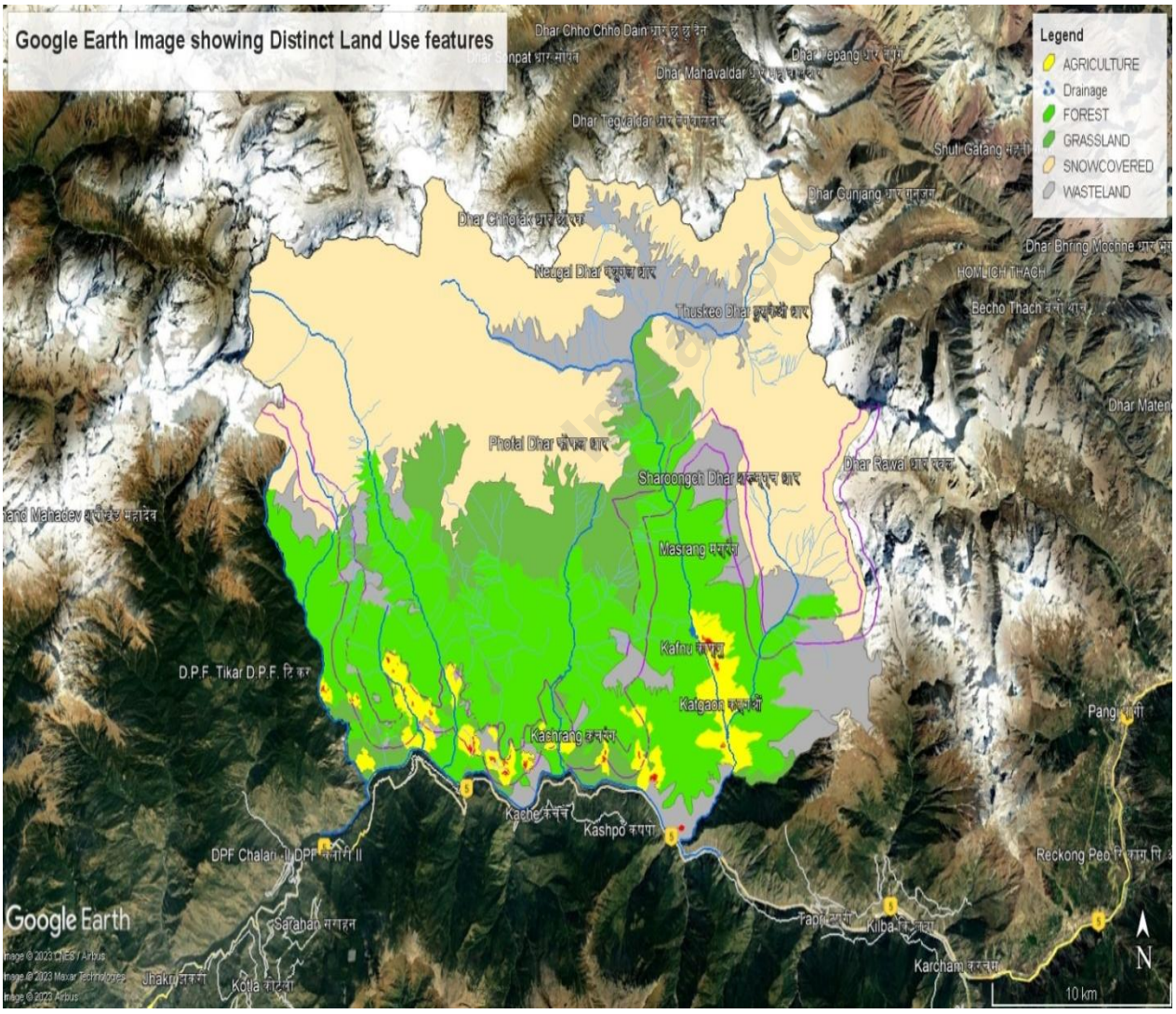
Annexure II B

MAP OF ECO SENSITIVE ZONE AROUND RUPI BHABA WILDLIFE SANCTUARY



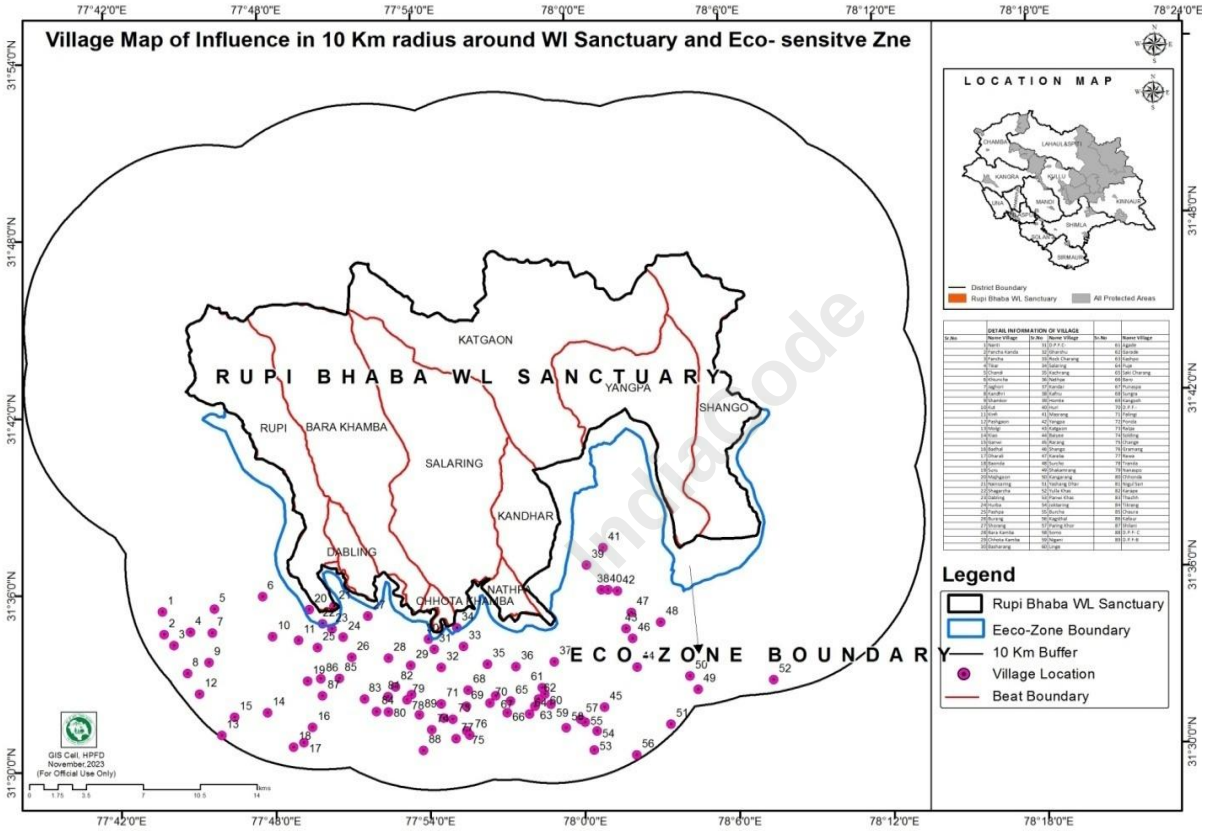
Annexure II C

Land Use Land Cover MAP OF ECO SENSITIVE ZONE AROUND RUPI BHABA WILDLIFE SANCTUARY



Annexure II D

Village MAP OF influence in 10 kilometers radius around RUPI BHABA WILDLIFE SANCTUARY AND ECO SENSITIVE ZONE AROUND RUPI BHABA WILDLIFE SANCTUARY



Annexure III

TABLE A: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE BOUNDARY AROUND RUPI BHAB A WILDLIFE SANCTUARY

Point	Longitude	Latitude
1	$77^0$44’53.556’’	$31^0$42’47.406’’
2	$77^0$47’31.139’’	$31^0$40’29.98’’
3	$77^0$48’56.01’’	$31^0$38’41.085’’
4	$77^0$50’33.975’’	$31^0$36’40.018’’
5	$77^0$54’11.707’’	$31^0$35’10.927’’
6	$77^0$55’52.753’’	$31^0$36’7.872’’
7	$77^0$57’48.506’’	$31^0$35’49.483’’
8	$77^0$58’19.448’’	$31^0$39’50.013’’
9	$78^0$1’58.181’’	$31^0$41’49.569’’
10	$78^0$3’57.13’’	$31^0$37’3.902’’
11	$78^0$5’50.606’’	$31^0$40’18.335’’
12	$78^0$6’35.167’’	$31^0$41’15.27’’
13	$78^0$6’9.267’’	$31^0$42’12.088’’
14	$78^0$5’44.593’’	$31^0$44’21.744’’
15	$78^0$6’24.466’’	$31^0$45’5.572’’
16	$78^0$5’49.457’’	$31^0$46’8.237’’
17	$78^0$4’33.425’’	$31^0$47’3.364’’
18	$78^0$2’19.694’’	$31^0$45’44.175’’
19	$78^0$0’8.363’’	$31^0$46’21.237’’
20	$77^0$58’25.251’’	$31^0$46’51.55’’
21	$77^0$56’43.099’’	$31^0$46’44.914’’
22	$77^0$56’12.945’’	$31^0$45’28.032’’
23	$77^0$54’23.749’’	$31^0$45’6.759’’
24	$77^0$52’7.467’’	$31^0$46’57.789’’
25	$77^0$51’14.068’’	$31^0$45’17.07’’
26	$77^0$45’50.501’’	$31^0$45’42.72’’

IndiaCode

TABLE-B: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE ECO SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF RUPI BHABA WILDLIFE SANCTUARY

Point	Longitude	Latitude
1	$77^0$48’42.519’’	$31^0$38’10.601’’
2	$77^0$48’34.212’’	$31^0$35’56.958’’
3	$77^0$51’13.91’’	$31^0$35’14.971’’
4	$77^0$52’28.726’’	$31^0$35’7.925’’
5	$77^0$53’34.531’’	$31^0$34’30.118’’
6	$77^0$56’15.277’’	$31^0$34’44.067’’
7	$77^0$58’0.823’’	$31^0$34’24.992’’
8	$77^0$58’43.886’’	$31^0$35’53.438’’
9	$77^0$59’26.349’’	$31^0$39’31.684’’
10	$78^0$1’46.325’’	$31^0$41’5.884’’
11	$78^0$4’50.434’’	$31^0$36’51.49’’
12	$78^0$6’51.257’’	$31^0$39’27.559’’
13	$78^0$7’8.563’’	$31^0$40’52.091’’

IndiaCode

Annexure IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE

S.N.	Village	Tehsil	District	GPS Co-ordinates
1	Kandar	Nichar	Kinnaur	31°34'28.52"N, 77°59'18.00"E
2.	Kacharang			31°34'38.12"N, 77°56'37.50"E
3.	Nathapa			31°34'25.49"N, 77°58'2.25"E
4.	Rockcharang			31°34'47.32"N, 77°56'0.71"E
5.	Salaring			31°35'49.33"N, 77°55'52.44"E
6.	Gurguri			31°36'28.77"N, 77°50'27.15"E
7.	Majhgaon			31°36'18.64"N, 77°50'17.42"E
8.	Naling			31°36'12.10"N, 77°50'27.46"E
9.	Shigarcha			31°35'55.99"N, 77°50'39.24"E
10.	Huruwa			31°35'36.54"N, 77°50'59.56"E
11.	BadaKhamba			31°34'36.66"N, 77°53'12.88"E
12.	Shorang			31°35'58.38"N, 77°52'30.89"E
13.	Gharashu			31°34'19.04"N, 77°55'9.09"E
14.	ChhotaKhamba			31°34'9.42"N, 77°54'26.52"

IndiaCode

Annexure V

LIST OF FLORA AND FAUNA PRESENT IN THE RUPI BHABA WILDLIFE SANCTUARY

Herbs

S.No.	Scientific name	Local name
1.	*Aconitum heterophyllum*	Patish, mohra
2.	*Agrimonia eupatorium*	Kanaula
3.	*Asparagus filicinus*	Sahasimuli
4.	*Cannabis sativa*	Bhang
5.	*Carum carvi*	Zira
6.	*Chenopodium album*	Dankhar
7.	*Datura stramonium*	Datura
8.	*Delphinium denudatum*	Nirvisi
9.	*Dipasacus inermis*	Tori
10.	*Foeniculumvulzare*	Saunf
11.	*Gentiana kurroo*	Karu
12.	*Geranium nepalense*	Tirrahani
13.	*Gerbera lanuginosa*	Kopra
14.	*Gerardiana heterophylla*	Bechhubuti
15.	*Halenia elliptica*	Pitpara
16.	*Jurinea macrocephalla*	Dhup
17.	*Mentha sylvestris*	Podina
18.	*Polygonatum verticillatum*	Salam mishri
19.	*Polygonum alatum*	Molora
20.	*Primula denticulta*	Hanatigoo
21.	*Salvia glutinosa*	Gwadra
22.	*Saussurea lappa*	Kuth
23.	*Strobilanthus dalhousiams*	Mashian
24.	*Swerita chirata*	Charaita
25.	*Tanacetum longifolium*	Bhutkesi

IndiaCode

26.	*Thalictrum prnduculatum*	Mamiri
27.	*Thalictrum neurocarpum*	Barmot
28.	*Valeriana haedwickii*	Nakh
29.	*Valeriana wallichii*	Mushkbala
30.	*Viola serpens*	Banafsha

Shrub

S.No.	**Scientific name**	**Local Name**
1.	*Aristemisia roxburghiana*	Seski
2.	*Berberis chitria*	Chutram
3.	*Bosiaam herstiana*	Khasbar
4.	*Colebrookia oppositifolia*	Bhamber
5.	*Caragana brevispina*	Shameh
6.	*Coriaria nepalensis*	Masuri
7.	*Cotoneaster bacillaris*	Raonsh
8.	*Crataegusoxyacantha*	Bat sagli
9.	*Dapphne papyracea*	Gandiri
10.	*Desmodium samuense*	Safedkathi
11.	*Elsholtzia polystachya*	Pothijaunkara
12.	*Flemingia fruticulosa*	Chopru
13.	*Indigofera hebepetala*	Kastiarang
14.	*Juniperus recurva*	Guggal
15.	*Jasminum humile*	Chameli
16.	*Loranthus elatus*	Banda
17.	*Lonicera angustifolia*	Pirlu
18.	*Plectranthus coesta*	Bangra
19.	*Rhussemi alara*	titar
20.	*Rhododendron campanulatum*	Sirmang
21.	*Salix hastata*	Buins
22.	*Skimmia laureola*	Shuru
23.	*Spiraea canescens*	Takol
24.	*Staphylea emodi*	Nag Duan

IndiaCode

25.	*Woodfordia floribunda*	Dhan

Trees

S.No.	Scientific Name	Local/Common Name
1.	*Pinus roxbhurghii*	Chir pine
2.	*Pinus wallichiana*	Blue pine, Kail
3.	*Abies pindrow*	Silver fir, Tosh
4.	*Abies spectabilis*	Silver fir, Tosh, sapan
5.	*Cedrus deodara*	Deodar
6.	*Picea smithiana*	Spruce, Rai
7.	*Taxus baccata*	Common Yew, Rakhal
8.	*Quercus leucotrichophora*	Ban oak
9.	*Quercus glauca*	Bani oak
10.	*Quercus floribunda*	Moru oak
11.	*Quercus semecarpifolia*	Kahrsu oak
12	*Alnus nitida*	Alder, Kunees, Kosh
13.	*Betula alnoides*	Kathbhoj
14.	*Betula utilis*	Birch, Bhoj
15.	*Julglans regia*	Walnut, akhrit
16.	*Ulmus wallichiana*	Maldung
17.	*Symplocos paniculata*	Lodh
18.	*Prunus cerasoides*	Panja
19.	*Prunus armeniaca*	Chulli
20.	*Prunus persica*	Reg, Baimi
21.	*Prunus cornuta*	Him. Bird-Cherry, Jamun
22.	*Pyrus pashia*	Shagal
23.	*Acer acuminatum*	Manderang, unn
24.	*Acer caesium*	Him. Maple, Chirandru, Manderang
25.	*Acer sterculiaceum*	Unn, Kanjal
26.	*Acer cappadocicum*	Unn, Knajal

IndiaCode

27.	*Aesculus indica*	Him. Horse chestnut, JungliKhanor
28.	*Rhododendron arboreum*	Baras

List of Major Fauna in the Protected Area

S.No.	Common Name	Scientific Name
1.	Himalayan Water Shrew	*Chimarrogale himalayica*
2.	Hodgson's Brown-toothed shrew	*Soriculus caudatus*
3.	Horsfield's Shrew	*Crocidura horsfieldii*
4.	Greater Horseshoe Bat	*Rhinolophus ferrumequinum*
5.	Great Himalayan Leaf-nosed Bat	*Hipposideros armiger*
6.	Hodgson's Bat	*Myotis formosus*
7.	Rhesus Macaque	*Macaca mulatta*
8.	Common Langur	*Semnopithecus entellus*
9.	Common Leopard	*Panthera pardus*
10.	Snow Leopard	*Uncia uncia*
11.	Jungle Cat	*Felis chaus*
12.	Leopard Cat	*Prionailurus bengalensis*
13.	Himalayan Palm Civet	*Paguma larvata*
14.	Common Indian Mongoose	*Herpestes edwardsii*
15.	Stone Marten	*Martes foina*
16.	Yellow Throated Marten	*Martes flavigula*
17.	Pale Weasel	*Mustela altaica*
18.	Himlayan Weasel	*Mustela sibirica*
19.	Yellow -Billied Weasel	*Mustela kathiah*
20.	Red Fox	*Vulpes vulpes*

India Code

21.	Himlayan Brown Bear	*Ursus arctos*
22.	Asiatic Black Bear	*Ursus thibetanus*
23.	Himalayan Musk Deer	*Moschus chrysogaster*
24.	Ghoral	*Naemordedus goral*
25.	HimlayanSerow	*Naemorhedus thar*
26.	Himlayan Tahr	*Hemitragus jemlahicus*
27.	Asiatic Ibex	*Capra ibex*
28.	Blue Sheep(Bharal)	*Pseudois nayaur*
29.	Red Gaint Flying Squirrel	*Petaurista petaurista*
30.	Small Kashmir Flying Squirrel	*Hylopetes fimbriatus*
31.	House Rat	*Rattus rattus*
32.	Turkestan Rat	*Rattus turkestanicus*
33.	Chest nut Rat	*Niviventer fulvescens*
34.	White-bellied Rat	*Niviventer niviventer*
35.	Indian Crested Porcupine	*Hystrix indica*
36.	Royle'sPika	*Ochotona roylei*
37.	Large-eared Pika	*Ochotona macrotis*

IndiaCode

List of Important Birds in the Protected Area

S. No.	**Name of the Bird**	**Scientific Name**
1	Western Tragopan	*Tragopan melanocephalus*
2	Koklass Pheasant	*Pucrasia macrolopha*
3	Himalayan Monal	*Lophophorus impejanus*
4	Kalij Pheasant	*Lophura leucomelanos*
5	Chukar partridges	*Alectoris chukar*
6	Himalayan Snowcock	*Tetraogallus himalayensis*
7	Lammergeier	*Gypaetus barbatus*

8	Himalayan Griffon Vulture	*Gyps himalayensis*
9	Golden Eagle	*Aquila chrysaetos*
10	Eurasian Sparrowhawk	*Accipiter nisus*
11	Himalayan Buzzard	*Buteore fectus*
12	Common kestrel	*Falco tinnunculus*
13	Oriental turtle Dove	*Streptopelia orientalis*
14	Snow Pigeon	*Columba leuconota*
15	Mountain Scops Owls	*Otuss pilocephalus*
16	Asian barred Owlet	*Glaucidium cuculoides*
17	Himalayan Switlet	*Aerodramus brevirostris*
18	Himalayan Woodpecker	*Dendrocopos himalayensis*
19	Scaly-belled Woodpecker	*Picus squamatus*
20	Spotted Nutcracker	*Nucifraga caryocatactes*
21	Coal tit	*Periparus ater*
22	Black and yellow Grosbeak	*Mycero basicterioides*
23	Brownish flanked Bush Warbler	*Horornis fortipes*
24	Grey headed canary Flycatcher	*Culicic apaceylonensis*
25	Long-billed Thrush	*Zoothera monticola*
26	Common Rosefinch	*Carpodacus erythrinus*
27	Red headed Bullfinch	*Pyrrhula erythrocephala*
28	Fire fronted Serin	*Serinus pusillus*
29	Plain Mountain finch	*Leucosticte nemoricola*
30	Rock bunting	*Emberiza cia*

IndiaCode

List of the other important species (Butterfly, insects, reptiles etc) in the Protected Area

Amphibians

1. Himalayan Toad (*Duttaphrynus himalayanus*)
2. Beautiful torrent frog (*Amolops formosus*)
3. Stoliczka's frog (*Paa vicina*)

Reptiles

1. Kashmir rock Agama (*Laudakia tuberculata*)
2. Himalayan Ground Skink (*Asymblepharus himalayanus*)
3. Ice Field Skink (*Asymblepharus ladacensis)*

4. Himalayan Keelback (*Amphiesma platyceps*)
5. Himalayan Pit viper (*Gloydius himalayanus*)

Invertebrates

There is no document or information available on invertebrate fauna of Rupi-Bhaba WLS, and it is presumably similar to other part of Western Himalayas

List of endemic species

Plants

1. Deodar *Cedrus deodara*
2. Kail *Pinus wallichiana*
3. Chir Pine *Pinus roxburghii*
4. Khanor (Chestnut) *Aesculus hippocastranum*
5. Rhododendron *Rhododrndron sps.*

Mammals

(1) Himalayan Goral (*Naemorhedus goral*): The Himalayan Goral is a small ungulate species that inhabits the mountainous regions of the western Himalayas, including parts of Himachal Pradesh.

(2) Himalayan Blue Sheep (*Pseudois nayaur*): Also known as Bharal or Himalayan Blue Sheep, this species is endemic to the Himalayan region and can be found in parts of Himachal Pradesh.

Birds

(1) Himalayan Snowcock (*Tetraogallus himalayensis*): This large game bird is endemic to the western Himalayas and can be found in rocky and alpine habitats, including parts of Himachal Pradesh.
(2) Himalayan Quail (*Ophrysia superciliosa*): This elusive and critically endangered bird species is endemic to the western Himalayas, including parts of Himachal Pradesh. It prefers dense grasslands and shrubby habitats.
(3) Himalayan Monal (*Lophophorus impejanus*): The Himalayan Monal is a colorful pheasant species endemic to the western Himalayas, including parts of Himachal Pradesh. It inhabits forests and alpine meadows.

List of Rare, Endangered, and Threatened species

1) Himalayan Brown Bear (*Ursus arctosisabellinus*): Vulnerable
2) Himalayan Monal (*Lophophorus impejanus*): Vulnerable
3) Asiatic Black Bear (*Ursus thibetanus*): Vulnerable
4) Himalayan Musk Deer (*Moschus chrysogaster*): Endangered
5) Himalayan Tahr (*Hemitragus jemlahicus*) : Near Threatened

IndiaCode

Annexure VI

Proforma of the Action Taken Report

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.16 16:16:59 +05'30'